न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 48/2008 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. भौरा पुत्र रूडा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान :–––– (मृतक)

1/1 जगन प्रसाद पुत्र भौरा

1/2 भोलाराम पुत्र भौरा

1/3 रमेश पुत्र भौरा

1/4 नानची बेवा भौरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान–––––––(मृतक)

:––– अपीलांटस

बनाम

1 सोणा पुत्र रघुनाथ पौत्र कालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

2 प्रहलाद पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तह0 बानसूर जिला अलवर

3 पूरण पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान ––––– (मृतक)

3/1 धोली पत्नी स्व0 पूरण

3/2 सचिन पुत्र स्व0 पूरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

3/3 सुभाष पुत्र स्व0 पूरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

4 ग्यारसा पुत्र रामजीलाल

5 ज्ञाना पुत्री रामजीलाल

6 कमला पुत्री रामजीलाल

7 बिडदी बेवा रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

8 सोहन पुत्र लादिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर---'---- (मृतक)

8/1 जयराम पुत्र स्व0 सोहन

8/2 रामसिंह पुत्र स्व0 सोहन

8/3 माया पत्नी स्व0 भौमसिंह पुत्र वधु स्व0 सोहन

8/4 गोलू पुत्र स्व0 भौमसिंह पौत्र स्व0 सोहन जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर

8/5 सन्तरा पुत्री स्व0 सोहन पत्नी छीतर जाति गुर्जर निवासी हाल ग्राम धानौता तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

8/6 लाली पुत्री स्व0 सोहन पत्नी बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी हाल ग्राम इलियास प्रान्त हरियाणा

9 फूला पुत्र लादिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर ------- (मृतक)

9/1 जयराम पुत्र स्व0 फूला जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर

9/2 शांति पुत्री स्व0 फूला पत्नी भूपसिंह जाति गुर्जर निवासी हाल ग्राम इलियास प्रान्त हरियाणा

10. जीता पुत्र लादिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

बानसूर जिला अलवर राजस्थान————(मृतक)

10 हरदान पुत्र भूरा जाति गुर्जर वासी ग्राम मोरोडी——(मृतक)

11/1 रामकरण पुत्र स्व0 हरदान

11/2 धर्मवीर पुत्र स्व0 हरदान

11/3 भौती पत्नी स्व0 हरदान जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

11/4 संतोष पुत्री स्व0 हरदान पत्नी राजू जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला अलवर

11 फूला पुत्री जवाहरा स्त्री मक्खन जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर हाल निवासी भूरियावास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान ।

12 तहसीलदार बानसूर जिला अलवर

:——— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, बानसूर दिनांक 29.2.2008

———————————————————

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांटस :— श्री ब्रहमप्रकाश यादव

2. वकील रेस्पो0सं0 1 :— श्री अशोक कुमार मुदगल

निर्णय दिनांक 4.10.2021

———— ————————

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 यह अपील तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी, वानसूर द्वारा राजस्व वाद रांख्या 289/2006 अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 29.2.2008, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद डिक्री किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी सोणा ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 84/1 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम मारोडी तहसील वानसूर में से 1/2 भाग अर्थात 11 बीघा तरफ दक्षिण की भूमि विवादित है । उक्त 11 बीघा भूमि को वादी का पिता रघुनाथ व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 8, 9, 10, 11 व 12 के पिता भूरा व जवाहरा काबिज होकर काश्त करते थे और वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी बंटवारा में उक्त भूमि मिन वादी के पिता को काश्त के लिये दे दी गई थी । तभी से अर्थात अर्सा करीब 15 वर्ष से विवादित आराजी को वादी का पिता रूगनाथ व उसके मरने के बाद मिन वादी बहैसियत काबिज वारिस इस भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है व बहैसियत खातेदार काबिज व दखिल है । परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से हमारे नाम कागजात माल में हिस्सा 1/2 के बजाये मात्र 5 बीघा 13 बिस्वा अंकित किया है । असल प्रतिवादीगण के नाम शेष भूमि गलत तौर पर दर्ज कर दी गई है । जबकि सम्पूर्ण 11 बीघा भूमि पर कब्जा वादी का ही चला आ रहा है । 12 वर्ष से ज्यादा समय से लगातार हमारा कब्जा चला आ रहा है । इस लिहाज से भी हम खातेदार हो गये । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 29.2.2008 के द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर असल प्रतिवादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि तहत अदालत द्वारा गलत तौर पर हमारी इकतरफा की गई है । हमारे नाम कोई समन जारी नहीं हुये । हम रिकार्ड में खातेदार दर्ज है । हमको बिना सुने ही हमारा नाम कलमजन करने का आदेश दे दिया गया । राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शिकमी काश्तकारों के लिए सन 1975 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें यह जारी किया गया था कि इस नोटिस से एक साल के अन्दर समस्त शिकमीयान सही तथ्य लिखते हुये कि यह आराजी उन्हें किस खातेदार ने बताई व किसी की तरफ से शिकमी है, दरख्वास्त पेश कर सकते हैं । बाद जांच खातेदारी दी जावेगी, परन्तु वादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अल

ने ऐसी कोई दरख्वास्त समयावधि इस गजट नोटिफिकेशन के साथ पेश नहीं की और वादी के साथ ओर भी शिकमीयान के नाम विवादित आराजी पर अंकित है, परन्तु वादी रेस्पो0 संख्या 01 अकेले के पक्ष में विवादित आराजी का दावा डिक्री कर दिया, जो गलत है । सम्वत 2021 में हमारा नाम दर्ज है । सम्वत 2035 में भूमि इनके नाम कैसे आई, यह स्पष्ट नहीं किया गया है । तहत अदालत ने वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी प्रदान की है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार खातेदारी नहीं दी जा सकती, जैसा कि 2011 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 721 में अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । विवादित भूमि सदैव से ही हमारे कब्जे में है । हम विवादित भूमि के खातेदार हैं । मौखिक साक्ष्य के आधार पर हमारी खातेदारी समाप्त कर वादी को खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती, जैसा कि 2015 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1077 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि रेकार्डेड खातेदारी मौखिक साक्ष्य व मौका रिपोर्ट के आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती । वादी रेस्पो0 ने अपने कब्जे बाबत किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद पत्र चलने योग्य नहीं है । तहत अदालत ने विधि के प्रावधानों के बाहर जाकर अपना निर्णय पारित किया है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि अगर इनको तामील के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति है तो यह आपत्ति तहत अदालत में आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर उठाते । अपील में यह बिन्दू उठाने का इनको कोई अधिकार नहीं है । जहां तक इनके इस कथन का प्रश्न है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि 1991 आर0 आर0 डी0 पेज 01 में लार्जर बैंच ने अभिनिर्धारित किया है कि अगर किसी निजी काश्तकार का कब्जा लगातार 12 वर्ष से चला आ रहा है तो उसे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार हासिल हो गये । इस नजीर में सरकार के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे की अवधि 30 साल बताई गई है । विवादित भूमि का 1/2 भाग अर्थात 11 बीघा हमारे कब्जे काश्त की थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से हमारी खातेदारी में मात्र 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि ही दर्ज की, शेष भूमि अपीलांटस प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी, जबकि कब्जा हमारा सम्पूर्ण रकबा 11 बीघा पर चला आ रहा है,जिसकी जानकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

प्रतिवादीगण अपीलाटस को शुरू से ही थी । हमको एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं । आर0 आर0 टी0 2019 (2) पेज 1355 में रविन्द्र कौर ग्रेवाल व अन्य बनाम मंजीत कौर व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 व 38 तथा परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 की व्याख्या करते हुये अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वत्व पूर्ण होता है, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद पोषणीय है तथा वादी यदि बेदखल कर दिया जाता है तो कब्जा बहाली हेतु वाद पेश कर सकता है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । दौराने विचारण अपील अपीलांट, रेस्पो0 संख्या 01, 3, 8, 9, 10, 11 का देहान्त हो गया था, जिनके वारिसान को आदेश दिनांक 25.9.2019 द्वारा रेकार्ड पर लिया गया था । इसी प्रकार दौराने विचारण अपील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 पेश किया, जो भी आदेश दिनांक 25.9.2021 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्रहण करने के आदेश दिये गये थे !

6 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । सर्वप्रथम इस कानूनी बिन्दू पर गौर किया कि क्या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में हमने उभयपक्षों द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत 2011 (2) आर0 आर0 डी0 पेज 721 में माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती । इसके विपरीत विद्वान वकील रेस्पो0 ने जो नजीर 1991 आर0 आर0 डी0 लार्जर बैंच पेज 01 पेश की है, उसमें प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी देने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । चूंकि वादी ने तहत अदालत में वर्ष 2006 में वाद पत्र पेश किया था, तत्समय प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाते थे । इसलिये विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा पेश की गई नजीर 1991 आर0 आर0 डी0 लार्जर बैंच पेज 01 के सिद्धान्त इस प्रकरण पर लागू होते हैं ।

7 इसके पश्चात इस बिन्दू पर गौर किया कि क्या वादी रेस्पो0 का प्रतिकूल कब्जा साबित होता है अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । जमाबन्दी सम्वत 2031

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

प्रदर्श पी–1, जमाबन्दी सम्वत 2035 प्रदर्श पी–2, जमाबन्दी सम्वत 2039 प्रदर्श पी–3 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 84/1 पर वादी के पिता रूगनाथ की काश्त दर्ज है । इन जमाबंदियों से सिद्ध है कि वादी के पिता रूगनाथ का सम्वत 2031 से 2056 तक कब्जा काश्त रहा है । वादी रेस्पो0 सम्वत 2031 से शिकमी काश्तकार दर्ज है । शिकमी काश्तकार खातेदार की श्रेणी में आता है । वादी रेस्पो0 का कब्जा सम्वत 2031 से है । सम्वत 2031 वर्ष 1974–75 होता है । वाद वर्ष 2006 में दायर किया गया, उस समय तक वादी का कब्जा रहा है । इससे स्पष्ट है कि वर्ष 1975 से लेकर 2006 तक 31 वर्षों से वादी रेस्पो0 का कब्जा रहा है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कब्जे की मियाद 12 वर्ष होती है । यह मियाद समाप्त हो जाने के बाद कोई व्यक्ति कब्जे का दावा नहीं कर सकता । 12 वर्ष तक लगातार कब्जा नहीं होने से उस व्यक्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं । प्रतिवादी अपीलांट ने वर्ष 1975 (सम्वत 2031) से 12 वर्ष की अवधि के अन्दर अर्थात वर्ष 1987 तक कब्जा वापिस की कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिये प्रतिवादी अपीलांट के अधिकार समाप्त हो गये । जैसा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 की उपधारा 01 (4) में प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कब्जे से वंचित कर दिया जावे तथा उसके द्वारा कब्जा लिये जाने की कार्यवाही की मियाद समाप्त हो जावे तो उसके अधिकार समाप्त हो जावेंगे । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि प्रतिवादी अपीलांट ने अपने टाईटल सिद्ध कराने हेतु तहत अदालत में वाद पत्र पेश नहीं किया, ना ही वादी रेस्पो0 के वाद में कोई काउण्टर क्लेम पेश किया । विद्वान वकील प्रतिवादी अपीलांट कथन है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद पत्र पोषणीय नहीं है, ना ही प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी दी जा सकती है, विद्वान वकील प्रतिवादी अपीलांट का यह कथन कतई मानने योग्य नहीं है, क्योंकि विद्वान वकील वादी रेस्पो0 द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत 2019 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1354 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रविन्द्र कौर ग्रेवाल व अन्य बनाम मंजीत कौर व अन्य नामक मामले में निर्णय दिनांक 7 अगस्त, 2019 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 व 38 तथा परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 की व्याख्या करते हुये प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद पोषणीय है तथा वादी यदि बेदखल कर दिया जावे तो कब्जा बहाली हेतु वाद पेश कर सकता है । इसी प्रकार विद्वान वकील वादी रेस्पो0 द्वारा पेश नजीर आर0 आर0 डी0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1991 लार्जर बैंच पेज 01 में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी देने का प्रावधान है । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी रेस्पो0 एडवर्स पजेशन के अलावा शिकमी काश्तकार होने के आधार पर भी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि शिकमी काश्तकार खातेदार ही माने जाते हैं । तहत अदालत ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.2.2008 द्वारा वादी रेस्पो0 को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दी है, उसमें हम उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.2.2008 को यथावत रखा जाता है ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सोखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सींखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 48/2008 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. भौरा पुत्र रूडा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील वानसूर जिला अलवर राजस्थान :—— (मृतक)

1/1 जगन प्रसाद पुत्र भौरा

1/2 भोलाराम पुत्र भौरा

1/3 रमेश पुत्र भौरा

1/4 नानची वेवा भौरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील वानसूर जिला अलवर राजस्थान————(मृतक)

:—— अपीलांटस

वनाम

1 सोणा पुत्र रघुनाथ पौत्र कालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील वानसूर जिला अलवर राजस्थान

2 प्रहलाद पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तह0 वानसूर जिला अलवर

3 पूरण पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील वानसूर जिला अलवर राजस्थान ———— (मृतक)

3/1 धोली पत्नी स्व0 पूरण

3/2 सचिन पुत्र स्व0 पूरण

3/3 सुभाष पुत्र स्व0 पूरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील वानसूर जिला अलवर राजस्थान

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 ग्यारसा पुत्र रामजीलाल
5 झाना पुत्री रामजीलाल
6 कमला पुत्री रामजीलाल
7 बिडदी बेवा रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान
8 सोहन पुत्र लादिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर——————— (मृतक)

8/1 जयराम पुत्र स्व0 सोहन

8/2 रामसिंह पुत्र स्व0 सोहन

8/3 माया पत्नी स्व0 भौमसिंह पुत्र वधु स्व0 सोहन

8/4 गोलू पुत्र स्व0 भौमसिंह पौत्र स्व0 सोहन जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर

8/5 सन्तरा पुत्री स्व0 सोहन पत्नी छीतर जाति गुर्जर निवासी हाल ग्राम धानौता तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

8/6 लाली पुत्री स्व0 सोहन पत्नी बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी हाल ग्राम इलियास प्रान्त हरियाणा

9 फूला पुत्र लादिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर ——————— (मृतक)

9/1 जयराम पुत्र स्व0 फूला जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर

9/2 शांति पुत्री स्व0 फूला पत्नी भूपसिंह जाति गुर्जर निवासी हाल ग्राम इलियास प्रान्त हरियाणा

10. जीता पुत्र लादिया जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान——————(मृतक)

10 हरदान पुत्र भूरा जाति गुर्जर वासी ग्राम मारोडी——(मृतक)

11/1 रामकरण पुत्र स्व0 हरदान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

11/2 धर्मवीर पुत्र स्व0 हरदान

11/3 भौती पत्नी स्व0 हरदान जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान

11/4 संतोष पुत्री स्व0 हरदान पत्नी राजू जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला अलवर

11 फूला पुत्री जवाहरा स्त्री मक्खन जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर हाल निवासी भूरियावास तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान ।

12 तहसीलदार बानसूर जिला अलवर

:——— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, बानसूर दिनांक 29.2.2008

———————————————

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट्स :— श्री ब्रहमप्रकाश यादव

2. वकील रेस्पो0सं0 1 :— श्री अशोक कुमार मुदगल

पर्चा डिक्री दिनांक 4.10.2021

——— ———————

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.2.2008 को यथावत रखा जाता है ।

4/10/2021

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर